न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 228 सन् 2018
पंजीयन दिनांक 06.09.2018

1. मोहब्बत सिंह पिता गिरधारी सिंह जाति राजपुत मृतक के बजाय
   1. बलवन्त सिंह पिता मोहब्बत सिंह जाति राजपुत निवासी खोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   2. श्रीमती कंवर पुत्री मोहब्बत सिंह जाति राजपुत निवासी ओगना तहसील झाडोल जिला उदयपुर
   3. मगन कंवर पत्नि मोहब्बत सिंह जाति राजपुत निवासी खोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. रघुनाथ पिता गिरधारी सिंह जाति राजपुत निवासी खोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. मोहनलाल पिता भुरा जाति कुमावत निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. भंवरलाल पिता भुरा जाति कुमावत निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. नाथुलाल पिता भुरा जाति कुमावत निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. रतनलाल पिता भुरा जाति कुमावत निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6. सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
7. गोवर्धन कंवर पत्नि रघुनाथ सिह जाति राजपुत निवासी खोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
8. भंवर कंवर पत्नि देवेन्द्र सिंह जाति राजपुत निवासी खोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
9. विमला कंवर पत्नि नरेन्द्रसिह जाति राजपुत निवासी खोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 09/2014 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.05.2018

उपस्थित– 1. चन्दनमल जणवा –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. राकेशपुरी गोस्वामी –अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. रेस्पोडेन्टगण 2 से 5 व 7 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 6

निर्णय **दिनांक 08.04.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा खोर तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 770 रकबा 1.95 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी का उक्त आराजीयात मे 1/3 व रेस्पोडेन्ट सं. 1 का 1/3 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 का 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त हिस्से अनुसार अपीलान्ट अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी मे होने से आये दिन रकबा बेशी को लेकर विवाद होता रहता है। जिससे पक्षकारान के मध्य हक व हिस्से के अनुसार आराजीयात का बंटवाडा कराया जाना आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 विवादित भूमि मे अपने हक व हिस्से को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद करता रहता है तथा रेस्पोडेन्टगण अपीलान्ट वादी का हिस्सा होने से भी इंकार करता है। जिससे रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा भी चाही गई।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। व राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार सन् 2018 कैम्प कोर्ट जालमपुरा मे त्वरित निर्णय हेतु निर्णित की गई। जिस पर उभयपक्षकारान कैम्प कोर्ट जालमपुरा मे उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 मे वादपत्र मे अंकित तथ्यो को अस्वीकार कर जवाब मे कथन किया कि विवादित कृषि आराजीयात मे अपीलान्ट वादी का हक व हिस्सा नही है। न ही मौके पर कब्जा है। अपीलान्ट वादी ने सम्पूर्ण आराजीयात का विक्रय कर दिया है। जमाबन्दी मे नाम दर्ज होने के कारण गलत वाद पेश किया है। अपीलान्ट को विभाजन कराने का भी कोई अधिकार है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का खण्डन किया कि पक्षकारान के मध्य रकबा कमी बेशी को लेकर कभी विवाद नही हुआ। अपीलान्ट वादी का कोई कब्जा नही है। अपीलान्ट वादी ने दिनांक 17.04.95 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया है। अपीलान्ट वादी के हिस्से मे कोई जमीन नही है। विक्रय करने के बाद भी विभाजन की दाद मांगना गलत है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से जवाब व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम मे अंकित किया कि अपीलान्ट वादी के द्वारा आराजी नम्बर 770 रकबा 1.95 हैक्टेयर मे निहित 1/3 हिस्सा व आराजी नम्बर 782 रकबा 2.54 हैक्टेयर कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 को विक्रय की गई। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 17.04.1995 को निष्पादित किया गया। अपीलान्ट वादी के द्वारा विक्रय की गई भूमि के सम्बन्ध मे विक्रय विलेख मे विक्रयशुदा आराजी के पडौस दर्शाये गये। जिसमे पश्चिम दिशा मे नाला बताया गया। विक्रय विलेख मे आराजी नम्बर 770 का अंकन संहवन से दर्ज होना रह गया है। क्रय दिनांक से ही रेस्पोडेन्ट का कब्जा सम्पूर्ण आराजी पर है। विक्रय पत्र मे 1/3 अंकन छुट जाने का फायदा अपीलान्ट उठाना चाहता है।

राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम आराजी नम्बर 770 के 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने का रेस्पोडेन्ट सं. 1 अधिकारी है।

उक्त आशय का वादपत्र व जवाबदावा व काउन्टर क्लेम रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली को वास्ते बहस मे होते हुए लोक अदालत कैम्प कोर्ट जालमपुरा मे नियत की जाकर वादपत्र अपीलान्ट काउन्टर क्लेम रेस्पोडेन्ट प्रमाणित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है। इस न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट सं. 7 से 9 जो मूल वाद मे पक्षकार नही थे उनकी ओर से प्रार्थना आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत होने पर उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे विचाराधीन होने से पक्षकार कायम किये गये। जो अपील मे रेस्पोडेन्ट सं. 7 से 9 कायम करते हुए अपील प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। व पत्रावली वास्ते अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए मौखिक बहस मे यह निवेदन किया गया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे जो तनकियात कायम की गई उक्त तनकियात को अपीलान्ट वादी ने पूर्णतया दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो से प्रमाणित करवाया था। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उन्हे नजर अंदाज कर अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किया गया है। अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया कि उक्त पत्रावली बिना सहमति के लोक अदालत मे नियत की गई। बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत के तहत अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किया गया है। व अपीलान्ट वादी को लोक अदालत के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी भी नही दी गई। अपीलान्ट वादी ने प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिससे अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर म्याद मानते हुए अपील का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी का उक्त कृषि आराजीयात मे जो 1/3 हक व हिस्सा था। उक्त हक व हिस्सा अपीलान्ट वादी स्वंय ने जरिये पंजीकृत बहनामा दिनांक 17.04.1985 को रेस्पोडेन्ट सं. 7 से 9 को विक्रय कर दिया था। ऐसी स्थिति मे पंजीकृत बहनामे को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बगैर अपीलान्ट वादी ने गलत इन्द्राज के आधार पर बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया है। जिसमे रेस्पोडेन्ट ने काउन्टर क्लेम

प्रस्तुत किया व रेस्पोडेन्ट सं. 7 से 9 ने पंजीकृत बहनामा मय आवेदन के प्रस्तुत किया है। जिससे रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य था फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को भी निरस्त किया है। अपीलान्ट वादी की अपील सारहीन होकर रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसमे अंकित तथ्य स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत थी। व उक्त पत्रावली मे प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी जो दिनांक 08.02.2018 को प्रस्तुत किया गया भी विचाराधीन था। फिर भी उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गोवर्धन कंवर, भवर कंवर विमला कंवर जो रेस्पोडेन्ट सं. 7 से 9 है को पक्षकार कायम किया जाकर बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रकरण लोक अदालत मे नियत किया जाकर अपीलान्ट वादी का वादपत्र व रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को प्रमाणित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत मे हुई है। परन्तु अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 7 से 9 ने पक्षकार मुकदमा बनने का आवेदन प्रस्तुत किया। जिसके साथ पंजीकृत बहनामा दिनांक 17.04.1995 जो अपीलान्ट वादी स्वंय के द्वारा अपीलान्ट सं. 7 से 9 के पक्ष मे निष्पादित व पंजीकृत करवाया है। उक्त बहनामे को अपीलान्ट वादी व उसके वारिसान के द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय मे निरस्त नही करवाया गया है। उक्त दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बगैर अपीलान्ट वादी उक्त आराजीयात की घोषणा कराये जाने का अधिकारी नही रहता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट वादी के पक्ष मे पारित निर्णय व डिक्री न्यायोचित है। परन्तु रेस्पोडेन्ट की ओर से पंजीकृत बहनामे के अनुसार काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। उस पर भी किसी प्रकार का निर्णय अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। जिससे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 संहवनीय नही होने से निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 09/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर काउन्टर क्लेम पर तनकी नम्बर 3 कायम की गई उस पर उभयपक्ष की साक्ष्य व सबुत लिवाई जाकर अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़